No 006235

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या 676. वर्ष 2009 - 2010.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि अरविन्दो स्कूल ऑफ़ साइंस सोसाइटी देवघर.

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख 11 मास दिसम्बर वर्ष दो हजार नौ को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

गोवर्नमेन्ट प्रेस, रांची ।

पत्रांकः–जे.एस. [1] 10625/09 -1434

दाखिल करने का प्रमाण–पत्र

झारखण्ड सरकार

निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय
झारखंड, राँची।

दिनांकः 09.12.09

अरविन्दो एडुकेशनल सोसाइटी देवघर.

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था निबंधन अधिनियम 21,1860 के प्रावधानों के अनुसार आज निम्नांकित दस्तावेज सम्यक रूप से दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया गया है/किये गये है :–

1. निबंधन शुल्क 50/– रूपया मात्र।
2. आम सभा का प्रस्ताव।
3.. स्मृति पत्र।
4. नियमावली।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक
झारखंड, राँची।

सेवा में,

सचिव/अध्यक्ष,

अरविन्दो एडुकेशनल सोसाइटी देवघर
हो॰नं॰-02, जनार्दन कॉलनी रोड
मु॰-रामचन्द्रपुर, पो॰-जसीडीह
जि॰-देवघर (झारखण्ड)

आपके पत्र के आलोक में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न है।
कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक
झारखण्ड,रांची।